**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 1387**
**दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 / 21अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तर के लिए**

## आत्महत्या के मामले

**1387. श्री विष्णु दयाल रामः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) क्या 15-29 वर्ष की आयु के युवा नागरिकों में मृत्यु का दूसरा सबसे प्रचलित कारण आत्महत्या है;**
**(ख) यदि हां, तो विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश में झारखण्ड सहित आत्महत्या के मामलों की आयु-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार रिपोर्ट की गई संख्या कितनी है;**
**(ग) क्या सरकार ने देश में युवाओं में आत्महत्या के प्रमुख कारणों को समझने के लिए कोई व्यापक अध्ययन कराया है;**
**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या है;**
**(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और**
**(च) सरकार द्वारा देश में आखिल भारतीय स्तर पर युवाओं में आत्महत्या के मामलों को कम करने के लिए की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?**

## उत्तर

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)**

(क) से (च): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन 'भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ (एडीएसआई)' में आत्महत्याओं के आंकड़ों को संकलित और प्रकाशित करता है। वर्ष 2022 तक प्रकाशित रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

मानसिक विकारों के बोझ को दूर करने की दृष्टि से, भारत सरकार देश में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) को लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत किया गया है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई गई

सुविधाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, बाहरी रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श / मनो-सामाजिक हस्तक्षेप, गंभीर मानसिक विकार वाले व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाले रोगी सुविधा का प्रावधान है। डीएमएचपी के उद्देश्य हैं:

i. स्कूलों और कॉलेजों में आत्महत्या की रोकथाम सेवाएं, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श प्रदान करना।
ii. जिला स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, पदोन्नति और दीर्घकालिक निरंतर देखभाल सहित मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना।
iii. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के लिए बुनियादी ढांचे, उपकरण और मानव संसाधन के संदर्भ में संस्थागत क्षमता में वृद्धि करना।
iv. मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के वितरण में सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी को बढ़ावा देना।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश की पहली राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति तैयार की है। यह रणनीति उनकी वेबसाइट (www.mohfw.gov.in) पर उपलब्ध है।

उपरोक्त के अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को एक "नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम" शुरू किया है। दिनांक 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार, 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 46 टेलीमानस सेल स्थापित किए हैं और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की हैं और हेल्पलाइन पर 4,81,000 से अधिक कॉल हैंडल किए गए हैं।

इसके अलावा, उच्च शिक्षा विभाग से उनके विभाग के तहत शैक्षिक संस्थानों में एनटीएमएचपी / टेली मानस के व्यापक प्रचार और तनावपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान हेल्पलाइन का उपयोग करने के लिए छात्रों के बीच हेल्पलाइन नंबर साझा करने का भी अनुरोध किया गया है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष रूप से शैक्षिक संस्थानों में छात्रों के बीच एनटीएमएचपी/टेली मानस के व्यापक प्रसार और प्रचार के लिए भी अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के सभी संस्थानों, एआईआईएम और केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों से भी अनुरोध किया गया है कि वे छात्रों के बीच टेलीमानस का प्रचार करें ताकि मुफ्त और गोपनीय समर्थन के लिए किसी भी समय हेल्पलाइन का उपयोग किया जा सके।

*****